कार्यालय नगर पालिका परिषद शिकारपुर जनपद, बुलन्दशहर

अतिअल्पकालीन ई–निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद शिकारपुर में अन्त्येष्टि स्थल विकास योजना के अन्र्तगत अनुदान सं0 83 के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से कराये जाने वाले विकास कार्य हेतु समस्त पंजीकृत ठेकेदारों से उनकी पंजीकरण सीमा के अन्तर्गत कराये जाने वाले निम्न विकास कार्यो हेतु निविदाये आमन्त्रित की जाती है।

कार्यो के निविदा स्केन आर्नेस्टमनी एवं निविदा शुल्क मूल प्रति मुख्यालय में जमा तिथि–	11·3-19 को 1 PM
कार्यो की निविदा अपलोड करने की प्रारम्भ व अन्तिम तिथि	6·3-19 से 11·3-19 11 AM
कार्यो की निविदा खोलने की तिथि	11·3-19 को 4 PM

क0सं0	कार्यो का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा मूल्य	12 प्रतिशत जी0एस0टी0	कार्य की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर पालिका परिषद शिकारपुर में गौ0 चौक के निकट छात्रावास के पीछे अन्त्येष्टि स्थल का विकास कार्य।	42.62 लाख	85240.00	4300	516	3 माह

–: नियम व शर्ते :–

1. सशर्त निविदाएं मान्य नही होंगी और स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
2. नगर पालिका परिषद शिकारपुर को बिना कोई कारण बतायें निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने के अधिकार सक्षम अधिकारी में सुरक्षित होगा। निविदा शुल्क धनराशि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद शिकारपुर के पद नाम से बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड करना अवाश्यक होगा। उपरोक्त प्रपत्र न होने की स्थिति में ठेकेदार की निविदा को अवैध माना जायेगा।
3. प्रत्येक निविदा के साथ दो प्रतिशत धरोहर राशि की एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 कॉलम संख्या– 4 में अंकित विवरण के अनुसार, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद शिकारपुर के पद नाम से बंधक होगी की स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड़ करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा खोले जाने के समय निविदादाता की उपस्थिति वांछनीय है।
5. उपरोक्त कार्य शासनादेश सं0 316/नौ–7–19–35(ज)/2018 के द्वारा निर्धारित विवरण शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुसार कराया जायेगा।
6. प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को निर्माण कार्यो हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, पैन नम्बर, जी.एस.टी. पंजीकरण, श्रम विभाग का पंजीकरण निविदा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट, धरोहर राशि की एफ.डी.आर., प्रमाण पत्र की प्रतियों को अपलोड़ करना अनिवार्य होगा। जिसकी एक प्रति लिफाफे में रखकर एवं निविदा शुल्क व धरोहर राशि की एफ.डी.आर. की मूल प्रति एक लिफाफे में रखकर लिफाफे पर कार्य का नाम, ठेकेदार का नाम के साथ स्पष्ट हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर निर्धारित तिथि दिनांक 11-3-19 समय 01 PM तक निर्माण विभाग, नगर पालिका परिषद शिकारपुर कार्यालय मे रखे निविदा बाक्स में डालना अनिवार्य है, यदि लिफाफे पर उक्त विवरण अंकित नहीं होगे तो लिफाफा अवैध माना जायेगा एवं ऐसी निविदा का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।
7. जिन ठेकेदारों का सिविल कार्य हेतु पंजीकरण/नवीनीकरण वर्ष 2018–19 में हो चुका है, वही निविदा डालने हेतु अर्ह होंगे।
8. निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश संख्या– 622/23–12–2012–2 ऑडिट/09टी.सी.–2, दिनांक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक बिलों दरों पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर परफोरमंस गारन्टी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा कराने के उपरान्त अनुबंध गठित किया जायेगा। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
9. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त ठेकेदार/ फर्म द्वारा कार्य की 08 प्रतिशत धरोहर राशि जमाकर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा।
10. शासनादेश संख्या 0145/नौ–9–2013 के द्वारा भवन एवं संन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत ठेकेदारों के पंजीयन एवं श्रमिकों के पंजीयन करायें जाने अनिवार्य होंगे। प्रत्येक निविदा कार्य का पंजीयन ठेकेदार/संस्था को कार्यादेश प्राप्ति पर श्रम विभाग से कराकर पालिका में जमा कराना होगा।
11. अपठनीय/अस्पष्ट स्कैन कॉपी टैण्डर के साथ अपलोड होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
12. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या 3385/86–2015–292/2015, दिनांक 15 अक्टूबर 2015 के अनुपालन में प्राप्त किये जाने वाले उपखनिजों पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान वैध अभिवहन प्रपत्र (एम.एम.–11) के आधार पर परिवहन किये जायें, वैद्य अभिवहन प्रपत्र (एम.एम.–11) के किया जाता है, तब प्रयुक्त उपखनिज की रायल्टी के साथ–साथ खनिज मूल्य (सामान्यतः रायल्टी का पांच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से करते हुए लेखा शीर्षक में जमा करा दी जायेगी।
13. निविदा विवरण निम्न प्रारुप में उल्लेखित कार्यो का अलग–अलग विवरण उनकी आंगणन लागत निविदा की अर्नेस्टमनी निविदा मूल्य तथा समय अवधि का विवरण उपरोक्त बेबसाईड पर देखा जा सकता है। विवरण के अनसार प्रत्येक कार्य की अलग–अलग निविदा आमंत्रित है।
14. ठेकेदार/फर्म का जी.एस.टी. में पंजीकरण अनिवार्य है तथा जी.एस.टी. के अन्तर्गत आने वाली समस्त कटौतियां देय होगी।
15. प्रत्येक निविदादाता निविदा देने से पूर्व उक्त सूची में अंकित निर्माण कार्य के स्थल का भलीभांति निरीक्षण अवश्य कर लें।
16. निविदा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर न्यायायिक क्षेत्राधिकार बुलन्दशहर होगा।
17. शासनादेश संख्या– 609/नौ–9–2007–249ज/06, दिनांक 26.02.2007 के अनुपालन में प्रत्येक निविदा पत्र के साथ 100/– रु0 के स्टाम्प पेपर पर स्वघोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

नोटः– उक्त निविदाएं बेबसाईट http:/WWW.BULANDSHAHR.NIC.IN पर भी देखी जा सकती है।

अवर अभियन्ता	अधिशासी अधिकारी	अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद शिकारपुर	नगर पालिका परिषद शिकारपुर	नगर पालिका परिषद शिकारपुर
जनपद– बुलन्दशहर।	जनपद– बुलन्दशहर।	जनपद– बुलन्दशहर।

Scanned by CamScanner

पत्रांकः 1278 /न0पा0प0शि0/2019 दिनांकः 02-3

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

1. अपरजिलाधिकारी (प्रशासन)/प्रभारी अधिकारी (स्था0नि0) बुलन्दशहर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. एन0आई0सी0 बुलन्दशहर को बेबसाईट http:// etender.up.nic.in पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
3. जामिन अली चपरासी को नगर पालिका के नोटिस वोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद शिकारपुर
जनपद–बुलन्दशहर।

Scanned by CamScanner